


FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

जानीवाड़ बनाम हेसा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 129/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>9.4.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>जानीवाड़</u></p> <p>पति श्री <u>श्रीमान लाल कुमाण्ड</u></p> <p>निवासी <u>रामारवेड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>रोमड़ा</u> <u>प.ह. (तुम्बड़िया)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>341</u></p> <p>कुल कीता <u>L</u> कुल रकबा <u>1.4300</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>रोमड़ा (प.ह. तुम्बड़िया)</u> स्थित खातेदारी की नूमे आराजी नम्बर <u>341</u></p> <p>कुल कीता <u>L</u> रकबा <u>1.4300</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>10000</u> रुपये अक्षर <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ते पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बिनु देबन) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </p>